प्रेषक,

संख्या-जीआई-410/14-2-2011

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2011

विषयः गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0 रोड किमी0 14.88 से 17.70 (मोहननगर चौराहा पुलिस चौकी से मेरठ तिराहा) तक चौड़ीकरण हेतु 0.53 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 99 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-860/11-सी-गाजियाबाद, दिनांक 12-9-2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0 रोड किमी0 14.88 से 17.70 (मोहननगर चौराहा पुलिस चौकी से मेरठ तिराहा) तक चौड़ीकरण हेतु 0.53 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 99 वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/71/2011/एफ.सी/1042, दिनांक 20-9-2011 में प्रदत्त शर्तों एवं राज्य सरकार की शर्तों को समायेश करते हुये, के साथ अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1)- भा.स. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

(2)- भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस अर्थात 990 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं पांच वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3)- भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पांच वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(5) भा.स. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जाएगी।

(6)- भा.स. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(7) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

(8) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) भा.स. प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से सड़क निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

(10) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(11) भा.स. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बंधित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।

(12)- भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(13)- भा.स. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0-1574, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।

(14)- प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन-202/1995 की आई0ए0 566 के अनुसार शासनादेश रिड 526/14-2-08, दिनांक 22-8-2008 के द्वारा निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण

(Compensatory Afforestration Fund, Management and Planning Authority) में जमा विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(15)- प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(16)- उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(17)- वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(18)- प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र वन निगम द्वारा ही किया जाएगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग लौगिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफ0सी0 दिनांक 11-12-08 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(19)- प्रस्तावक विभाग को भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने से पूर्व पृथक से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

(20) प्रयोक्ता अभिकरण को यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है, इसका भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(21) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-Fc (Pt), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है, तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(22) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(23) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ मा0न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर, एच, अलीगंज, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
6- श्री भूप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।